.व्यवस्था. सरकार प्रक्रिया बनायेगी सरल

गोद लेना होगा आसान

संवाददाता ■ पटना

सूबे के 10,480 नये आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सेविका-सहायिकाओं की बहाली शीघ्र होगी. चयन के लिए निर्देश दिया जा चुका है. राज्य व जिला स्तर पर

- पटना, भागलपुर व नालंदा में होगी एजेंसी : बीके वर्मा
- राज्य व जिला स्तर पर बाल संरक्षण समितियां बनाने की भी योजना
- नये आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सेविका-सहायिकाओं की बहाली शीघ्र होगी

मीडिया से मुखातिब समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव बीके वर्मा. फोटो। प्रभात खबर

बाल संरक्षण समिति बनायी जायेगी. गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. पटना, भागलपुर व नालंदा में गोद लेने के लिए एजेंसी बनेगी. ये बातें समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव बीके वर्मा ने बुधवार को सूचना भवन में यह जानकारी दी.

जिलों में बाल पर्यवेक्षण गृह

राज्य के 2.31 करोड़ बच्चे एवं महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाभान्वित होंगे. उन्हें पोषाहार, प्री-स्कूल शिक्षा, टीकाकरण का लाभ मिलेगा. इस पर 3,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. केंद्र व राज्य 50-50 प्रतिशत राशि खर्च करेंगे. पिछले वर्ष 17 बच्चों को गोद लिया गया था, लेकिन प्रक्रिया को सरल बनाये जाने के बाद इस वर्ष अब तक 24 बच्चों को गोद लिया जा चुका है. जिलों में बाल पर्यवेक्षण गृह बनाये जा रहे हैं. पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा व पूर्णिया में बाल पर्यवेक्षण गृह का निर्माण हो चुका है. सभी बाल पर्यवेक्षण गृह में चाइल्ड ऑफिसर होंगे, जो सादी वरदी में रहेंगे.

36 लाख लोगों को पेंशन

फिलहाल 36 लाख लोगों को विभिन्न पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है. 28 लाख लोगों को वृद्धावस्था एवं 4.24 लाख महिलाओं को लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन मिल रही है. राइट टू सर्विस एक्ट के तहत पेंशन सहित अन्य योजनाओं के लाभ के लिए आवेदन का निबटारा करना है. पिछले दो वर्षों में पेंशन लेने वालों की संख्या काफी बढ़ी है. केंद्र सरकार 40-से-64 वर्ष की विधवा को ही विधवा पेंशन योजना का लाभ देती है, जबकि राज्य सरकार लक्ष्मी बाई पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा को लाभ देती है. डीपीओ एवं सीडीपीओ द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच रिपोर्ट की रैडम सैंपल जांच की जा रही है. मौके पर विशेष कार्य पदाधिकारी शत्रुंजय मिश्र, उपसचिव जवाहर प्रसाद, उपनिदेशक कमला कुमारी एवं विजय कुमार सिंह भी मौजूद थे.